जोधराज पुत्र कला जाति जाट निवासी कुलाटिया मृतक के बजाय :–
1(A) मोडी बाई पत्नी जोधराज जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
1(B) सीताबाई पुत्री जोधराज जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
1(C) पार्वती पुत्री जोधराज जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
1(D) कोशलिया उर्फ सुशीला पुत्री जोधराज जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
1(E) गंगाबाई पुत्री जोधराज जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
1(F) उमाशंकर पुत्र जोधराज जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
1(G) ललिता पुत्री जोधराज जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
1(H) जगदीश पिता जोधराज जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. कालुलाल पुत्र हाबुलाल जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
2. छगनलाल पुत्र हाबुलाल जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
3. रामलाल पुत्र हाबुलाल जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
4. देऊबाई पुत्री हाबुलाल जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
5. भागुतीबाई पुत्री हाबुलाल जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
6. शांतिबाई पुत्री हाबुलाल जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
7. रोशन बाई पुत्री हाबुलाल जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
8. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार महोदय बेगूँ
9. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय प्रतिनिधि राज0सरकार चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– आई.एम.अजमेरी
अधिवक्ता वादीगण
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः–10.11.2023

निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से वादपत्र अधिवक्ता श्री आई.एम.अजमेरी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि–

मोजा कुलाटिया नई प0ह0 कुलाटिया नई तह0 बेगूँ में वर्तमान जमाबंदी खाता सं0 12 में अंकित आराजी सं0 277 रकबा 2.0400 है0 भूमि स्थित है जो वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में होकर इस आराजी में 1/2 हिस्सा वादी का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है।

यह कि उक्त आराजी सं0 277 रकबा 2.0400 है0 भूमि में से प्रतिवादीगण के निहित हक हिस्सा 1/2 में से 5 बीघा भूमि का विक्रय प्रतिवादीगण के पिता हाबुलाल पिता भगवानराम भाट निवासी कुलाटिया द्वारा दिनांक 04.05.1976 को श्री राधेश्याम पुत्र बालुदास जाति वैष्णव निवासी बेगूँ को कर कब्जा श्री राधेश्याम वैष्णव को सुपुर्द कर दिया गया। प्रतिवादीगण के पिता हाबुलाल भाट द्वारा श्री राधेश्याम वैष्णव को विक्रय की गई 5 बीघा जमीन के पडोस निम्न प्रकार है–

पूर्व – विक्रेता हाबुलाल की स्वयं की जमीन
पश्चित – नाथु जी की जमीन
उत्तर – आराजी सं0 277 का शेष हिस्सा
दक्षिण – पीथु जी जाट की जमीन

यह कि हाबुलाल भाट द्वारा श्री राधेश्याम वैष्णव को विक्रय किये गये आराजी सं0 277 के 5 बीघा हिस्सा भूमि को श्री राधेश्याम वैष्णव द्वारा दिनांक [illegible] विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया जब से ही वादी आराजी सं0 277 में अपने पूर्व से निहित 1[illegible] हि[illegible] के साथ साथ हाबुलाल द्वारा राधेश्याम को विक्रय की गई 5 बीघा भूमि जिसे [illegible] द्वारा वादी [illegible] विक्रय किया गया है पर काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है। हाबुलाल भाट द्वारा [illegible] राधेश्याम वैष्णव को वि[illegible] किये जाने के पश्चात विक्रय के आधार पर पटवारी हल्का कुलाटिया [illegible] राधेश्याम के पक्ष में नामांत[illegible] सं0 341 दिनांक 10.11.1997 को दायर किया गया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 10.11.1997 को ही अपनी रिपोर्ट कर कार्यवाही बेरून मियाद होना अंकित कर इन्द्राज सही होने का अंकन किया गया, उक्त नामांतरण को दिनांक 11.11.1997 को श्री उप तहसीलदार बेगूँ द्वारा स्वीकृत किया जाकर अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदान किया गया, जिसकी पालना में तत्कालीन पटवारी द्वारा संवत 2053 की जमाबंदी में अमल दरामद किये जाने का नोट नामांतरण पर अंकित किया गया है। लेकिन संवत 2053 की जमाबंदी पर किसी प्रकार का कोई अमल दरामद नहीं हुआ है, इसके पश्चात दिनांक 01.12.2000 को इस नामांतरण पर यह नोट अंकित किया गया कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 53 से असलखाता कायम गलत कर दिया गया है अमल रोका जाकर इंतकाल बनाकर तहसील में पेश करे। इस नोट के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:30 IST
Reason: SelfAttested

गई है जिस पर वादी ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है लेकिन क्रय दिनांक [illegible] तक उक्त वादी की क्रय सुदा 5 बीघा भूमि का नामांतरण वादी के नाम पर अंकित नहीं किया गया [illegible] कारण उक्त भूमि वर्तमान में भी प्रतिवादीगण के नाम पर अंकित चली आ रही है जबकि उक्त भूमि [illegible] वादी सद्भावी क्रेता होकर भूमि पर काबिज है। वादी द्वारा क्रय की गई उक्त 5 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा भूमि विक्रय की प्रथम दिनांक 04.05.1976 के पश्चात से नहीं है इसलिए वादी को भूमि को अपने नाम पर घोषित कराना आवश्यक होने के कारण वाद वादी की ओर से न्यायालय श्रीमान में पेश किया है।

यह कि बाद घोषणा आराजी वादी अपनी क्रयसुदा भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन भी करवाना चाहता है इसलिए वादी की ओर से भूमि का विभाजन किया जावे।

यह कि वाद कारण वादी द्वारा दिनांक 11.11.1997 को भूमि क्रय करने के पश्चात से आज दिनांक तक भूमि का नामांतरण वादी के नाम पर दायर नहीं होने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है–

1. यह कि वाद वर्णित आराजी सं0 277 रकबा 2.0400 है0 भूमि में से विक्रेता हाबुलाल भाट के 1/2 हिस्से में से विक्रेता हाबुलाल द्वारा राधेश्याम बैरागी को विक्रय की गई 5 बीघा भूमि जिसे वादी द्वारा राधेश्याम बैरागी द्वारा क्रय की गई है, को वादी की खातेदारी में घोषित किये जाने की घोषणा की डिक्री बहक वादी प्रदान कराई जावे।
2. यह कि बाद घोषणा उक्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण की शेष आराजी से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन किये जाने का आदेश प्रदान करावे।
3. यह कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ पक्ष वादी हो वादी के पक्ष में प्रदान कराया जावे एवं खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वाद अ0धा0 88–53 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया जाने पर प्रतिवादी सं0 1 से 5 एवं 7 की ओर से वकील श्री एच.सी.शर्मा द्वारा अधिकार पत्र पेश किया। प्रतिवादी सं0 6 सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 से 5 व 7 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब दावा बंद किया गया एवं प्रतिवादीगण को न्यायालय में तीन आवाजे लगाई गई किंतु सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी सं0 8 व 9 फोर्मल पक्षकार होने से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब दावा का अवसर बंद किया जाने के पश्चात वकीलवादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र डुमालाल, उमाशंकर, उदयलाल के पेश कर उदयलाल, डुमालाल और उमाशंकर के बयान कलमबद्ध कर दस्तावेज प्रदर्श कराये। प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 है। प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी 2073 से 2076 है। प्रदर्श 3 नकल नक्शा ट्रेस है। प्रदर्श 4 ए बेचान नामा राधेश्याम का है। प्रदर्श 5 ए बेचाना नामा हाबुलाल का है।

प्रकरण में दस्तावेज प्रदर्श होने के पश्चात वकीलवादी द्वारा अपनी एकतरफा बहस के दौरान नकल नामांतरण 345 की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि

वाद वर्णित आराजी सं0 277 रकबा 2.0400 है0 भूमि में से विक्रेता हाबुलाल भाट के 1/2 हिस्से में से विक्रेता हाबुलाल द्वारा राधेश्याम बैरागी को विक्रय की गई 5 बीघा भूमि जिसे वादी द्वारा राधेश्याम बैरागी द्वारा क्रय की गई है, को वादी की खातेदारी में घोषित किये जाने की घोषणा की डिक्री बहक वादी प्रदान कराई जावे।

यह कि बाद घोषणा उक्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण की शेष आराजी से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन किये जाने का आदेश प्रदान कर दावा वादी के पक्ष में स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

प्रकरण में वादीगण की एकतरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता वादी की एक तरफा ध्यानपूर्वक सुनी गई। नकल जमाबंदी मौजा कुलाटिया नई सं0 2073 से 76 का अवलोकन किया गया आराजी संख्या 277 रकबा 2.0400 हैक्टर भूमि संयुक्त रूप से [illegible]नलाल, रामलाल पिता हाबूलाल देउ भागुती शांति रोशनबाई पिता हाबूलाल भाट 1/2 [illegible] पिता केला जाट 1/2 सा0 देह खातेदार दर्ज है। नक्शाट्रेस आराजी [illegible] पंजीकृत बेचाननामा प्रदर्श–5 ए का अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि हाबूलाल पिता भगवानराम जाति भाट [illegible] बीघा भूमि [illegible] क्रेता राधेश्याम पिता बालूदास बैरागी को कीमतन 10000/–रूपये में विक्रय की [illegible] नकल पंजीकृत बेचाननामा प्रदर्श– 4 ए का अवलोकन किया जिसमें रोधश्याम द्वारा क्रय की हुई आराजी 5 बीघा भूमि को वादी जोधराज पिता केला जी जाट को विक्रय की गई है। इस प्रकार पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर वादी क्रय की हुई 5 बीघा भूमि को अपने नाम पर खाते में और दर्ज करा पाने के अधिकारी पाये जाते है साथ ही वादी का 1/2 पूर्व का हिस्सा एवं 5बीघा और क्रय की गई भूमि को वादी के खाते मे रखते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी अनुसार विभाजन करा पाने के वादी अधिकारी पाये जाते है। प्रकरण में वादी जोधराज द्वारा इस न्यायालय में यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:30 IST
Reason: SelfAttested

0.81 हैक्टर रखते हुए शेष हिंस्सा प्रतिवादीगण का जमाबंदी अनुसार रखते हुए आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1500/— रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को वास्ते फर्द बंटवारा रिपोर्ट भिजवाने हेतु भेजी जाती है।

उपरोक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार बेगूं को वर्णित आराजियात का फर्द बटवारा रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु लिखा गया था जिसकी पालना मे तहसीलदार बेगूं द्वारा उनके पत्र क्रमांक/भू. अ./राजस्व/101 दिनांक 20.04.2023 के साथ फर्द बटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई जिस पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई वकील वादीगण द्वारा प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट सही होने एवं दावा अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वादपत्र अन्तिम डिक्री किए जाने योग्य पाया जाता है। अतः वादीगण वादपत्र 88—53 राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है मौजा कुलाटिया नई प0ह0 घामंचा की आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(1) श्री उमां शकंर 1/16 जगदीश 1/16 पिता जोघराज जाट, कालूलाल 1/14 छगनलाल 1/14 रामलाल 1/14 देउबाई 1/14 भागुती 1/14 रोशनबाई 1/14 शान्ति 1/14 पिता हाबूलाल भाट व मोडीबाई पत्नी जोघराज जाट 3/8

आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
277 मे से	0.024	चाही 2	0.68
किता— 1	रकबा 0.024 हैक्टर		0.68

(2) श्री उमाशंकर 23/182 जगदीश 23/182 सीताबाई 5/91 पार्वती 5/91 कौशल्या उर्फ सुशीला 5/91 गंगाबाई 5/91 ललिता 5/91 पिता जोघराज मोडीबाई पत्नी जोघराज जाट 43/91

आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
277 मेसे	1.818	जाव 2—1.55 चाही 2— 0.268	7.47
किता कुल 1	रकबा 1.818 हैक्टर		7.47

(3) श्री कालूलाल 1/7 छगनलाल 1/7 रामलाल 1/7 देउबाई 1/7 भागुती 1/7 रोशनबाई 1/7 भाान्ति 1/7 पिता हाबूलाल भाट

आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
277मे से	0.198	चाही 2	5.52
किता— 1	रकबा 0.198 हैक्टर		5.52

उपरोक्त आराजीयत फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार खाता पृथक [illegible] राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 10.11.2023 को लिखवाया जाकर [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:30 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द गुर्जर)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

1(A) मोडी बाई पत्नी जोधराज जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
1(B) सीताबाई पुत्री जोधराज जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
1(C) पार्वती पुत्री जोधराज जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
1(D) कोशलिया उर्फ सुशीला पुत्री जोधराज जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
1(E) गंगाबाई पुत्री जोधराज जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
1(F) उमाशंकर पुत्र जोधराज जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
1(G) ललिता पुत्री जोधराज जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
1(H) जगदीश पिता जोधराज जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

10. कालुलाल पुत्र हाबुलाल जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
11. छगनलाल पुत्र हाबुलाल जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
12. रामलाल पुत्र हाबुलाल जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
13. देऊबाई पुत्री हाबुलाल जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
14. भागुतीबाई पुत्री हाबुलाल जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
15. शांतिबाई पुत्री हाबुलाल जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
16. रोशन बाई पुत्री हाबुलाल जाति जाट निवासी कुलाटिया तह0 बेगूँ
17. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार महोदय बेगूँ
18. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय प्रतिनिधि राज0सरकार चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88–53 राज0का0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ईफतेखरर अजमेंरी तथा प्रतिवादीगण ....की अनुपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 –53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 10.11..2023 को पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द्र गुर्जर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–53 राज0 काष्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा निम्न अनुसार अंन्तिम डिक्री किया जाता है:–

उपरोक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार बेगूँ को वर्णित आराजियात का फर्द बटवारा रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु लिखा गया था जिसकी पालना मे तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक/भू. अ./राजस्व/101 दिनांक 20.04.2023 के साथ फर्द बटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई जिस पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई वकील वादीगण द्वारा प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट सही होने एवं दावा अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वादपत्र अन्तिम डिक्री किए जाने योग्य पाया जाता है। अतः वादीगण वादपत्र 88–53 राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है मौजा कुलाटिया नई प0ह0 घामंचा की आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(1) श्री उमां शकंर 1/16 जगदीश 1/16 पिता जोघराज जाट, कालूलाल 1/14 छगनलाल 1/14 रामलाल 1/14 देउबाई 1/14 भागुती 1/14 रोशनबाई 1/14 शान्ति 1/14 पिता हाबूलाल भाट व मोडीबाई पत्नी जोघराज जाट 3/8

आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
277 मे से	0.024	चाही 2	0.68
किता– 1	रकबा 0.024 हैक्टर		0.68

(2) श्री उमाशंकर 23/182 जगदीश 23/182 सीताबाई 5/91 पार्वती 5/91 कौशल्या उर्फ सुशीला 5/91 गंगाबाई 5/91 ललिता 5/91 पिता जोघराज मोडीबाई [illegible] जोघराज जाट 43/91

आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
277 मेसे	1.818	जाव 2–1.55 चाही 2– 0.268	7.47
किता कुल 1	रकबा 1.818 हैक्टर		7.47

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:30 IST
Reason: SelfAttested

ल 1/7 छगनलाल 1/7 रामलाल 1/7 देउबाई 1/7 भागुती 1/7 रोशनबाई 1/7
पिता हाबूलाल भाट

	रकबा	किस्म	लगान
	0.198	चाही 2	5.52
			5.52
— 1	रकबा 0.198 हैक्टर		

उपरोक्त आराजीयत फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार खाता पृथक पृथक राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है।

यह दावा अन्तिम डिक्री आज दिनांक 10.11..2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

दिनांक :— 10.11.23

क्रमांक / सरिश्ता / 2023 / 459

प्रतिलिपि तहसीलदार बेगूँ को अन्तिम डिकी की प्रति वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:30 IST
Reason: SelfAttested